Title: Introduction of the Constitution (Amendment) Bill, 2005 (Omission of Article 44, etc.).

15.34 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Omission of Article 44, etc.)

्योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : महोद्य, मैं प्रस्ता्व करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः्स्थापित करने की अनुमित दी जा्ये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

्योगी आदित्यनाथ : महोद्य, मैं विध्यक पुरः्स्थापित करता हूं।